



प्रेस विज्ञप्ति

13/11/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने 08.11.2024 को अंबर दलाल और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 22.86 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की अचल और चल संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। इन संपत्तियों में महाराष्ट्र के ठाणे और मुंबई जिलों में स्थित भू-खण्ड, आवासीय फ्लैट सहित अचल संपत्तियां और अंबर दलाल और उनके परिवार के सदस्यों और उनकी सहयोगी सुश्री रश्मि प्रसाद की बीमा पॉलिसियों और निवेशों सहित चल संपत्तियां शामिल हैं। इससे पहले, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में स्थित सुश्री रश्मि प्रसाद के एक आवासीय फ्लैट जिसकी कीमत 4.95 करोड़ रुपये (लगभग) है, उसे भी इस मामले में अनंतिम रूप से कुर्क किया गया था।

ईडी ने मेसर्स रिट्ज कंसल्टेंसी सर्विसेज के मालिक अंबर दलाल के खिलाफ मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। अंबर दलाल पर उच्च रिटर्न का वादा करके एक संदिग्ध पॉजी योजना के माध्यम से निवेशकों से पैसे लेने और फिर शुरुआती रिटर्न देने के बाद उनके पैसे लेकर फरार होने का आरोप है। यह पता चला है कि अंबर दलाल द्वारा जुटाई गई धनराशि लगभग 1300 निवेशकों से 600 करोड़ रुपये से अधिक है। उसे मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार किया था और वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत में है। यह पता चला है कि निवेशकों से एकत्र किए गए धन का कुछ हिस्सा अंबर दलाल द्वारा विभिन्न संपत्तियों की खरीद के लिए इस्तेमाल किया गया है और सुश्री रश्मि प्रसाद सहित कई व्यक्तियों को भी दिया गया है। यह पता चला है कि निवेशकों से एकत्र किए गए धन का उपयोग पुराने निवेशकों को मासिक रिटर्न का भुगतान करने के लिए भी किया जा रहा था और अंबर दलाल द्वारा किए गए दावे के अनुसार निवेश नहीं किया गया था।

इससे पहले, ईडी ने इस मामले में 21.06.2024 और 03.09.2024 को तलाशी अभियान चलाया था। इन तलाशी अभियानों के दौरान, 39 करोड़ रुपये (लगभग) की चल संपत्तियां फ्रीज/जब्ती की गईं। इस मामले में अब तक कुल 67 करोड़ रुपये (लगभग) की फ्रीजिंग/अटैचमेंट की गई है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।